



अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार



रजि.न.34300/80 संख्या 273 श्री विजय पुरम, सोमवार, 12 अक्टूबर 2026 web: dt.andamannicobar.gov.in 2.00 रुपए

माननीय उप राज्यपाल ने इंडियन ऑयल के नए ईंधन परिवहन पोत 'एमटी आइरिस' का किया लोकार्पण

दूरस्थ द्वीपों तक सुरक्षित, सुगम एवं निर्बाध ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल



श्री विजय पुरम, 11 अक्टूबर। अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में ईंधन आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने आज श्री विजय पुरम में इंडियन ऑयल के नए ईंधन परिवहन पोत 'एमटी आइरिस' का लोकार्पण किया तथा हरी झंडी दिखाकर इसके संचालन का शुभारंभ किया। इस नए पोत के परिचालन से पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन अब बैरल के स्थान पर थोक में किया जा सकेगा। इससे ईंधन की ढुलाई की प्रक्रिया अधिक सुगम एवं दक्ष बनेगी। साथ ही, ईंधन की मैन्युअल ढुलाई और हस्तचालन में कमी आने से संबंधित जोखिमों को भी कम करने में सहायता मिलेगी।



यह पहल अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के दूरस्थ द्वीपों तक सभी मौसमों में ईंधन की सुरक्षित, विश्वसनीय एवं



निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल द्वीपों की ईंधन परिवहन व्यवस्था

को मजबूती मिलेगी, बल्कि स्थानीय निवासियों के दैनिक जीवन, परिवहन व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक सेवाओं के सुचारु संचालन में भी सहायता प्राप्त होगी। इस अवसर पर माननीय उप राज्यपाल ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने पोत के समस्त चालक दल को सुरक्षित, सफल एवं मंगलमय यात्राओं के लिए शुभकामनाएँ भी प्रेषित कीं। इस अवसर पर अण्डमान निकोबार कमान के वाइस एडमिरल श्री विनीत मैककार्टी, इंडियन ऑयल के कार्यकारी निदेशक श्री जितेंद्र कुमार सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, अन्य गणमान्य व्यक्ति तथा आम नागरिक उपस्थित थे।

माननीय उप राज्यपाल से इंडियन ऑयल के वरिष्ठ अधिकारियों की शिष्टाचार भेंट

पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति, एलपीजी भंडारण क्षमता में वृद्धि और वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर हुई चर्चा

श्री विजय पुरम, 11 अक्टूबर। लोक निवास, श्री विजय पुरम में आज अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्वी क्षेत्र के कार्यकारी निदेशक एवं पश्चिम बंगाल राज्य कार्यालय के राज्य प्रमुख श्री जितेंद्र कुमार तथा खाद्य आपूर्ति सचिव श्री प्रवेश रंजन झा ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर द्वीपसमूह में पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने, एलपीजी की भंडारण क्षमता को बढ़ाकर 90 दिनों तक करने तथा एलपीजी वितरण व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बैठक के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की नियमित एवं सुचारु आपूर्ति बनाए रखने के लिए चार नए जहाजों की व्यवस्था



करने तथा एलपीजी की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से नए वितरकों की नियुक्ति



के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। इन पहलों का उद्देश्य द्वीपसमूह में ईंधन एवं रसोई गैस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित



करना, आपूर्ति व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाना तथा उपभोक्ताओं को बेहतर, सुगम और निर्बाध सेवाएँ उपलब्ध कराना है।

शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर प्रथम डांडिया महोत्सव में शामिल हुए माननीय उप राज्यपाल

माननीय उप राज्यपाल ने माँ दुर्गा के नौ दिव्य स्वरूपों को नमन कर द्वीपसमूह की सुख-समृद्धि एवं शांति की कामना की



श्री विजय पुरम, 11 अक्टूबर। अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा आज शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर श्री विजय पुरम स्थित प्रदर्शनी मैदान में अण्डमान तथा

निकोबार प्रशासन के कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित प्रथम डांडिया महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। इस पावन अवसर पर उन्होंने माँ दुर्गा के नौ दिव्य स्वरूपों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए समस्त द्वीपवासियों के

सुख, समृद्धि, शांति एवं कल्याण की मंगलकामना की। भक्ति, श्रद्धा और उल्लास से ओतप्रोत इस भव्य सांस्कृतिक आयोजन में भारतीय संस्कृति की अनुपम छटा देखने को मिली। डांडिया नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियों तथा उत्सवमय

वातावरण ने शारदीय नवरात्रि की आध्यात्मिक गरिमा को सजीव रूप प्रदान किया। इस आयोजन ने भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन के साथ-साथ सामाजिक



एकता, पारस्परिक सद्भाव और सामुदायिक सहभागिता के संदेश को भी प्रगाढ़ किया।

इस पावन अवसर पर माननीय उप राज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने माँ दुर्गा से प्रार्थना की कि उनका दिव्य आशीर्वाद अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के प्रत्येक निवासी पर सदैव बना रहे। उन्होंने द्वीपसमूह के निरंतर विकास, जनकल्याण, सुख-समृद्धि, शांति और आपसी सद्भाव की कामना की, ताकि यह द्वीपसमूह



प्रगति एवं समृद्धि के पथ पर निरंतर अग्रसर रहे।

इस अवसर पर अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय सांसद श्री विष्णु पद राय, श्री विजय पुरम नगरपालिका परिषद की अध्यक्ष श्रीमती वसंता, दक्षिण अण्डमान जिला परिषद के अध्यक्ष श्री पी. उमर, दक्षिण अण्डमान जिले की उपायुक्त सुश्री पूर्वा गर्ग, दक्षिण अण्डमान की पुलिस अधीक्षक सुश्री श्वेता के. सुगन्धन, विभिन्न विभागों के सचिवगण तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

स्वराज द्वीप में विशेष शिविरों के माध्यम से 1,102 द्वीपवासी पहचान पत्रों का अद्यतन किया गया



श्री विजय पुरम, 11 अक्टूबर। अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा द्वारा 9 एवं 10 अक्टूबर, 2026 को स्वराज द्वीप की यात्रा के दौरान दिए गए निर्देशों के अनुपालन में, दक्षिण अण्डमान जिला प्रशासन द्वारा स्वराज द्वीप में द्वीपवासी पहचान पत्रों के अद्यतन हेतु विशेष शिविरों का आयोजन किया गया।

स्थानीय निवासियों को द्वीपवासी पहचान पत्रों के अद्यतन की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से 10 एवं 11 अक्टूबर, 2026 को गोविंदनगर एवं श्यामनगर ग्राम पंचायतों के सामुदायिक भवनों में ये शिविर आयोजित किए गए।

शिविरों के दौरान, लंबे समय से लंबित मामलों वाले व्यक्तियों सहित अनेक द्वीपवासी पहचान पत्र धारकों ने इन सेवाओं का लाभ उठाया तथा अपने पहचान पत्रों में आवश्यक सुधार एवं परिवर्तन मौके पर ही करवाए। शिविरों में पहचान पत्रों के विवरण में सुधार, पते में परिवर्तन, विवरणों का सत्यापन तथा परिवार के सदस्यों के नाम जोड़ने जैसी सेवाएँ प्रदान की गईं।

जिला उपायुक्त, दक्षिण अण्डमान ने श्री अजीत कुमार रॉय, प्रधान, गोविंद नगर तथा श्री आलोक मृधा, प्रधान, श्याम नगर के साथ चल रहे शिविरों का भी दौरा किया। उन्होंने शिविरों में की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा की तथा द्वीपवासियों को सेवाओं की सुचारु एवं प्रभावी उपलब्धता सुनिश्चित की।



शिविरों के अतिरिक्त, बुजुर्गों, दिव्यांगजनों एवं बिस्तर पर रहने वाले ऐसे व्यक्तियों, जो शिविर स्थलों तक पहुँचने में असमर्थ थे, को सहायता प्रदान करने के लिए घर-घर जाकर सेवाएँ उपलब्ध कराई गईं। इस पहल से यह सुनिश्चित किया गया कि ऐसे निवासी भी बिना किसी परेशानी के अपने द्वीपवासी पहचान पत्रों में आवश्यक सुधार एवं परिवर्तन करवा सकें।

दो दिवसीय शिविरों के दौरान कुल 1,102 द्वीपवासी पहचान पत्रों का अद्यतन किया गया। यह उपलब्धि इस पहल के प्रति स्थानीय निवासियों की सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा नागरिक-केंद्रित सेवाएँ प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन के निरंतर प्रयासों को दर्शाती है।

पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के सदस्यों और स्थानीय निवासियों ने दक्षिण अण्डमान जिला प्रशासन द्वारा की गई पहल की सराहना की और कहा कि शिविरों ने अद्यतन प्रक्रिया को द्वीपवासियों के लिए अधिक सुविधाजनक और सुलभ बना दिया है।

इस पहल से स्वराज द्वीप के निवासियों को अपने क्षेत्र में ही आवश्यक सेवाएँ प्राप्त करने की सुविधा मिली। इससे उन्हें तहसील कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी तथा उनके समय और श्रम की बचत हुई। इस प्रकार, यह पहल द्वीपवासियों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुविधाजनक एवं सुलभ बनाने में सहायक सिद्ध हुई।

स्वराज द्वीप की लंबे समय से लंबित समस्याओं पर त्वरित निर्णय लेने के लिए माननीय सांसद ने माननीय उप राज्यपाल के प्रति आभार जताया

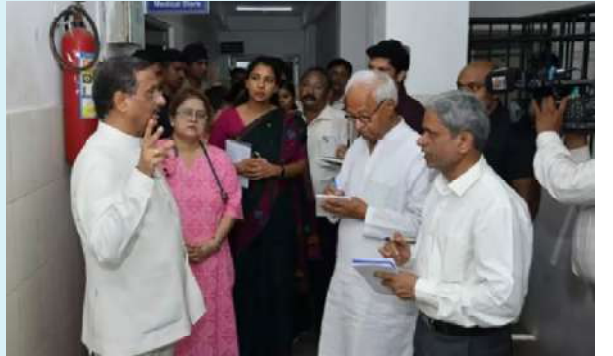


श्री विजय पुरम, 11 अक्टूबर। अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय सांसद श्री विष्णु पद राय ने आज स्वराज द्वीप के दौरे के दौरान शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित लंबे समय से लंबित समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित निर्णय लेने तथा आवश्यक निर्देश जारी करने पर माननीय उप राज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा के प्रति आभार व्यक्त किया।

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, गोविंद नगर के दौरे के दौरान माननीय उप राज्यपाल ने संबंधित अधिकारियों को चार अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण, वाणिज्य संकाय शुरू करने, शिक्षकों के सरकारी आवासों की मरम्मत, आंगनवाड़ी केंद्र के लिए एक कक्ष उपलब्ध कराने, बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण करने तथा विद्यार्थियों के आवागमन के लिए स्कूल बैन या बस की व्यवस्था करने हेतु आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, गोविंद नगर के निरीक्षण के दौरान माननीय उप राज्यपाल ने मरीजों के कुशलक्षेम की जानकारी ली तथा दवाइयों की उपलब्धता, चिकित्सा सुविधाओं, प्रस्तावित प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र और कर्मचारियों की स्थिति की समीक्षा की।

स्थानीय निवासियों एवं द्वीप पर आने वाले पर्यटकों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक



स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में उन्नत करने, 40 प्रकार की जाँच करने में सक्षम स्वचालित विश्लेषक मशीन स्थापित करने, एक्स-रे मशीन की तत्काल मरम्मत करने, वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराने तथा पिछले दो वर्षों से बंद पड़े डीजी सेट को चालू करने के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, चिकित्सकों एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मियों के लिए 10 अतिरिक्त कमरों का निर्माण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने द्वीप पर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए ऑपरेशन थिएटर स्थापित करने तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के भी निर्देश दिए।

सांसद कार्यालय से प्राप्त एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, स्वराज द्वीप के दौरे के दौरान माननीय उप राज्यपाल के साथ रहे श्री विष्णु पद राय ने द्वीपवासियों की लंबे समय से लंबित समस्याओं के समाधान के लिए उनके त्वरित निर्णयों, निकट निगरानी एवं आवश्यक निर्देशों की सराहना की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन उपायों से स्वराज द्वीप में शैक्षणिक आधारभूत संरचना एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा।

माननीय सांसद ने अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के लोगों के लिए बुनियादी सुविधाओं एवं जनसेवाओं में सुधार लाने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने और प्रयास करने के लिए माननीय उप राज्यपाल का आभार व्यक्त किया।

बाराटांग द्वीप के दौरे के दौरान उपायुक्त ने स्वास्थ्य सेवाओं, सड़क विकास एवं मोबाइल नेटवर्क की समस्याओं की समीक्षा की

जनसमस्याओं के त्वरित समाधान तथा विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए निर्देश



मायाबंदर, 10 अक्टूबर। जिला प्रशासन की जनसंपर्क पहल 'संपर्क से समाधान-प्रशासन गाँव की ओर' के अंतर्गत उत्तर व मध्य अण्डमान जिले के उपायुक्त श्री सुशांत पद्म, भा.प्र.से. ने बाराटांग द्वीप के अपने दो दिवसीय दौरे के क्रम में आज विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने जनसुविधाओं की स्थिति का जायजा लिया, विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की तथा स्थानीय निवासियों को प्रभावित करने वाली समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला परिषद, उत्तर व मध्य अण्डमान के अध्यक्ष श्री आर. अलगर स्वामी, दानिक्स अधिकारी एवं रंगत के सहायक आयुक्त श्री दीपांशु वोहरा तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उनके साथ उपस्थित रहे। उपायुक्त ने बाराटांग स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) का निरीक्षण कर वहाँ दवाइयों की उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि आवश्यक दवाइयों की समय पर खरीद सुनिश्चित की जाए तथा उनका पर्याप्त भंडार बनाए रखा जाए, ताकि उपचार के लिए आने वाले रोगियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

उन्होंने संबंधित कार्यपालक अभियंता को डायलिसिस इकाई के निर्माण कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए, ताकि डायलिसिस की आवश्यकता वाले रोगियों को अपने क्षेत्र में ही उपचार की सुविधा उपलब्ध हो सके और उन्हें इसके लिए दूरस्थ स्वास्थ्य केंद्रों तक न जाना पड़े। इसके पश्चात उपायुक्त ने विजयगढ़-1 स्थित रॉबी बस्ती क्षेत्र का दौरा कर वहाँ सड़क विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। स्थानीय निवासियों के लिए वर्षभर सुगम सड़क संपर्क के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वन विभाग से आवश्यक अनापति प्रमाण-पत्र (एनओसी) प्राप्त करने तथा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद सड़क निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए, ताकि क्षेत्र के निवासियों को बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध हो सके। उपायुक्त ने खारा नाला पहुँचकर स्थानीय निवासियों द्वारा उठाई गई सड़क संबंधी समस्याओं का मुआयना किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि इन समस्याओं को आगामी जिला योजना समिति (डीपीसी) की बैठक में प्राथमिकता के आधार पर विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि उनके समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा सके। इस दौरान क्षेत्र में मोबाइल टावर के काम नहीं करने के कारण उत्पन्न मोबाइल नेटवर्क संबंधी समस्या भी उनके संज्ञान में लाई गई। उपायुक्त ने इस विषय को संज्ञान में लेते हुए संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाने तथा क्षेत्र में मोबाइल संपर्क सेवा बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही। इससे स्थानीय निवासियों को बेहतर संचार



सुविधा उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। यह दौरा जिला प्रशासन द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों तक सरकारी सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करने, आवश्यक आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने तथा स्थानीय निवासियों से सीधे संवाद के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान करने के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। 'संपर्क से समाधान-प्रशासन गाँव की ओर' पहल के माध्यम से जिला प्रशासन स्थानीय समस्याओं के साथ निरंतर संवाद स्थापित कर रहा है तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं और जनसमस्याओं के समयबद्ध समाधान के लिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित कर रहा है।

नशीले पदार्थों के विरुद्ध अभियान : डिगलीपुर पुलिस ने किया गांजा ज़ब्त

मायाबंदर, 11 अक्टूबर। विश्वसनीय खुफिया सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तर अण्डमान के डिगलीपुर पुलिस ने 9 अक्टूबर, 2026 को डिगलीपुर के सुभाषग्राम में तलाशी अभियान के दौरान लगभग 160 ग्राम संदिग्ध अवैध गांजा ज़ब्त किया।

संदिग्ध मादक पदार्थ तथा उसे ले जाने के लिए इस्तेमाल किए गए बैग को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ज़ब्त कर लिया गया। स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एनडीपीएस अधिनियम) की संबंधित धाराओं के तहत डिगलीपुर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है। पुलिस आपूर्तिकर्ताओं का पता लगाने तथा मादक पदार्थों की आपूर्ति की पूरी श्रृंखला का पर्दाफाश करने के लिए प्रयासरत है। उत्तर व मध्य अण्डमान जिला पुलिस मादक पदार्थों की तस्करी के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पूरे जिले में खुफिया सूचनाओं के आधार पर अभियान चलाने और कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का सिलसिला जारी रहेगा। उत्तर व मध्य अण्डमान के पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में आम जनता से अपील की गई है कि वे मादक पदार्थों से संबंधित गतिविधियों की सूचना दूरभाष संख्या 100 या 112 अथवा निकटतम पुलिस थाने में दें। सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी तथा कार्रवाई योग्य जानकारी प्रदान करने वालों को उचित पुरस्कार भी दिया जाएगा।



प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार

विद्युत विभाग

सेवा सेतु अभियान

प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना

छत पर सोलर सिस्टम | सरकारी सब्सिडी | आवेदन सहायता | ऋण सुविधा | स्थापना हेतु मार्गदर्शन

क्र.सं.	स्थान	दिनांक	समय
1.	जंगलीघाट कल्याण मंडपम्	12.10.2026 (सोमवार)	सुबह 10:00 बजे से आगे

छत पर सोलर के बारे में जानें

आवेदन करें (सब्सिडी व सहायता हेतु)

विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त करें

हर घर सौर ऊर्जा, स्वच्छ, सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य की ओर

एकीकृत फसलोत्तर प्रबंधन परियोजना के तहत उद्यानिकी उपज के लिए सहायता उपलब्ध

श्री विजय पुरम, 11 अक्टूबर।

एमआईडीएच के राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन (एनएचएम) के तहत एकीकृत फसलोत्तर प्रबंधन (आईपीएचएम) परियोजना के अंतर्गत उद्यानिकी उपज की हैंडलिंग, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, परिवहन, उपचार एवं पकाने, अस्थायी भंडारण तथा दीर्घकालिक भंडारण जैसी गतिविधियों के लिए सहायता उपलब्ध है।

इस परियोजना के अंतर्गत पूर्व–शीतलन इकाइयों, खेत स्तर पर पैक हाउस, चलित पूर्व–शीतलन इकाइयों, स्टेजिंग कोल्ड रूम, नियंत्रित वातावरण सुविधा सहित अथवा उसके बिना शीत भंडारण इकाइयों, प्रशीतित वैन/कंटेनरों तथा प्राथमिक/चलित प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना शामिल है।

यह योजना उद्यमी–प्रेरित है तथा पात्र लाभार्थियों को ऋण से संबद्ध बैक–एंडेड सब्सिडी प्रदान की जाती है। पात्र लाभार्थियों में व्यक्तिगत लाभार्थी, सहकारी समितियां, किसान समूह, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) तथा स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) शामिल हैं।

विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	घटक	सहायता का स्वरूप
1.	राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन योजनाएं	
क	एकीकृत फसलोत्तर प्रबंधन	
1	खेत स्तर पैक हाउस–चलित हैंडलिंग ट्रॉली, छंटाई टेबल तथा खेत स्तर पर स्वतंत्र शीत भंडारण सुविधा सहित	परियोजना लागत का 50 प्रशित ऋण–संबद्ध बैक–एंडेड सब्सिडी, अधिकतम 12.50 लाख प्रति इकाई, प्रति लाभार्थी 9 मीटर 6 मीटर आकार तक।
2.	एकीकृत पैक हाउस–18 मीटर गुना 22 मीटर सुविधा, जिसमें कन्वेयर बेल्ट, छंटाई, ग्रेडिंग इकाइयां, धुलाई, सुखाने, वजन कांटा, एचपीटी, क्रेट रखने की व्यवस्था, डॉक लेवलर प्रणाली, आवश्यकता होने पर पूर्व–शीतलन, कोल्ड रूम ट्रांजिट तथा रेफर वैन शामिल हैं।	परियोजना लागत का 50 प्रतिशत ऋण–संबद्ध बैक–एंडेड सब्सिडी, अधिकतम 80.00 लाख रुपए तक।
3.	कोल्ड रूम (स्टेजिंग)	परियोजना लागत का 50 प्रतिशत ऋण–संबद्ध बैक–एंडेड सब्सिडी, अधिकतम 26.00 लाख रुपए तक।
4.	शीत भंडार प्रकार–1	
अ	शीत भंडारण प्रकार–1–सिविल निर्माण, पीयूएफ/पीआईआर पैनल, दरवाजे एवं एंटीरूम, प्रशीतन इकाइयां, विद्युत स्थापना, प्रशासनिक ब्लॉक, अग्नि सुरक्षा तथा मूलभूत मेजेनाइन संरचना सहित।	परियोजना लागत का 50 प्रशित ऋण–संबद्ध बैक–एंडेड सब्सिडी, अधिकतम 4,800 रुपए प्रति मीट्रिक टन, अधिकतम 5,000 मीट्रिक टन क्षमता तक।
आ.	शीत भंडारण प्रकार–1 – सिविल एवं पीईबी के संयुक्त निर्माण, पीयूएफ/पीआईआर पैनल, दरवाजे एवं एंटीरूम, प्रशीतन इकाइयां, विद्युत स्थापना, प्रशासनिक ब्लॉक, अग्नि सुरक्षा, जोखिम नियंत्रण तथा मूलभूत मेजेनाइन संरचना सहित।	परियोजना लागत का 50 प्रशित ऋण–संबद्ध बैक–एंडेड सब्सिडी, अधिकतम 6,000 रुपए प्रति मीट्रिक टन, अधिकतम 5,000 मीट्रिक टन क्षमता तक।
5	शीत भंडारण प्रकार–2 (सीएस–2)	
अ	शीत भंडारण प्रकार–2 –सिविल एवं पीईबी के संयुक्त निर्माण, पीयूएफ/पीआईआर पैनल, दरवाजे एवं एंटीरूम, प्रशीतन इकाइयां, विद्युत स्थापना, प्रशासनिक ब्लॉक, अग्नि सुरक्षा, जोखिम नियंत्रण तथा मूलभूत मेजेनाइन संरचना सहित।	परियोजना लागत का 50 प्रतिशत ऋण–संबद्ध बैक–एंडेड सब्सिडी, अधिकतम 6,000 रुपए प्रति मीट्रिक टन, अधिकतम 5,000 मीट्रिक टन क्षमता तक।
6.	प्रशीतित परिवहन वाहन	परियोजना लागत का 50 प्रतिशत ऋण–संबद्ध बैक–एंडेड सब्सिडी। प्रति लाभार्थी 14 मीट्रिक टन क्षमता तक 31 लाख रुपए तथा कम क्षमता के लिए आनुपातिक आधार पर सहायता प्रदान की जाएगी, हालांकि क्षमता 4 मीट्रिक टन से कम नहीं होनी चाहिए।
7.	प्राथमिक/न्यूनतम प्रसंस्करण इकाई (इस घटक पर केवल एमआईडीएच योजना के अन्य घटकों के साथ एकीकृत रूप से विचार किया जाएगा।)	परियोजना लागत का 50 प्रतिशत ऋण–संबद्ध बैक–एंडेड सब्सिडी, अधिकतम 17.50 लाख रुपए प्रति इकाई तक।

प्राप्त विज्ञप्ति में कृषि विभाग ने इच्छुक पात्र लाभार्थियों से अपील की है कि वे आगे आकर एमआईडीएच के राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन (एनएचएम) के तहत ‘एकीकृत फसलोत्तर प्रबंधन’ योजना का लाभ उठाएं। इसके लिए लाभार्थी अपने–अपने क्षेत्राधिकार में पदस्थ कृषि विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों एवं विस्तार कर्मचारियों से संपर्क कर आवेदन प्राप्त कर सकते हैं तथा सब्सिडी का लाभ उठाने के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए एचवीएडीए, कृषि निदेशालय से संपर्क किया जा सकता है।

‘इनोवेट फॉर भारत’ पहल में भाग लेने के लिए द्वीपों के युवाओं से आह्वान

श्री विजय पुरम, 11 अक्टूबर।

खेल एवं युवा कार्य निदेशालय ने द्वीपसमूह के युवाओं को ‘इनोवेट फॉर भारत’ श्रेणी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। यह पहल युवा नवोन्मेषकों और उद्यमियों को वास्तविक जीवन की चुनौतियों के समाधान विकसित करने तथा विकसित भारत/2047 के दृष्टिकोण में योगदान देने का अवसर प्रदान करती है।

इस पहल के अंतर्गत चयनित प्रतिभागियों को जनवरी, 2027 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले ‘विकसित भारत युवा नेता संवाद’ (वीबीवाईएलडी)–2027 में अपने नवाचारों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा।

क्र.सं.	चुनौतियां	आयु
1.	भारत के लिए डिजाइन निम्नलिखित श्रेणियों में विकास संबंधी चुनौतियों का समाधान करने वाले उत्पादों, प्रणालियों या समाधानों के साथ 500 शब्दों का अवधारणा–नोट प्रस्तुत करें: - स्मार्ट कृषि एवं कृषि–प्रौद्योगिकी (कृषि) - सुलभ स्वास्थ्य सेवा एवं सहायक प्रौद्योगिकी (स्वास्थ्य) - सतत स्वच्छ ऊर्जा एवं परिवहन (पर्यावरण) - ग्रामीण आवास एवं जलवायु–अनुकूल अवसंरचना (विकास) - अपशिष्ट से संपदा एवं चक्रीय अर्थव्यवस्था (स्वच्छ भारत) - अगली पीढ़ी के हस्तशिल्प एवं कारीगरों के उपकरण (स्थानीय के लिए मुखर) - अगली पीढ़ी की नागरिक सुविधाएँ एवं आपदा से निपटने की क्षमता (जन रक्षा)	18 से 29 वर्ष
2.	सामाजिक उद्देश्य के लिए नवाचार यह पहल युवा विद्यार्थियों और नवाचारकर्ताओं को निम्नलिखित क्षेत्रों में गंभीर सामाजिक एवं विकास संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु प्रौद्योगिकी–आधारित एवं व्यापक स्तर पर लागू किए जा सकने वाले समाधान विकसित करने के लिए आमंत्रित करती है: - ग्रामीण विकास एवं आजीविका - शिक्षा एवं कौशल विकास - स्वास्थ्य सेवा, कल्याण एवं सेवा वितरण - शासन व्यवस्था एवं नागरिक प्रौद्योगिकी - पर्यावरण एवं सतत विकास - डिजिटल समावेशन - कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) एवं उभरती प्रौद्योगिकियाँ - डिजिटल सुरक्षा एवं साइबर धोखाधड़ी के प्रति जागरूकता - वृद्धजन की देखभाल एवं स्वस्थ वृद्धावस्था - सहायक प्रौद्योगिकी एवं सुगम्यता - आपदा न्यूनीकरण एवं आपदाओं से निपटने की क्षमता	18 से 29 वर्ष
3.	युवा उद्यमी चुनौती युवाओं के नेतृत्व में ऐसे नवाचारों को प्रोत्साहित करना, जो व्यापक स्तर पर लागू किए जा सकने वाले, प्रौद्योगिकी–आधारित एवं टिकाऊ समाधानों के माध्यम से सामाजिक चुनौतियों का समाधान करते हैं।	18 से 35 वर्ष

खेल एवं युवा कार्य निदेशालय, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट **https://sports.andamannicobargov.in/ij** विस्तृत दिशा–निर्देश और अन्य जानकारीयों उपलब्ध हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर, 2026 है।

इच्छुक युवाओं को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक पोर्टल पर जाकर **VBYLD&2027&Innovate** वित ार्ीतज विकल्प का चयन करें तथा संबंधित चुनौती की जानकारी प्राप्त कर पंजीकरण एवं आवेदन जमा करने की प्रक्रिया पूरी करें। आधिकारिक पोर्टल **https://mybharat.gov.in/vbyld-2027** है।

प्राप्त विज्ञप्ति में युवाओं को सलाह दी गई है कि वे नवीनतम सूचनाओं, संशोधित समय–सीमा, विस्तृत दिशा–निर्देशों तथा आवेदन जमा करने संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी के लिए माई भारत पोर्टल नियमित रूप से देखते रहें।

संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी सहायता

श्री विजय पुरम, 11 अक्टूबर।

उच्च मूल्य कृषि विकास एजेंसी (एचवीएडीए) द्वारा अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में जलवायु के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति सहनशील तथा उच्च मूल्य वाली बागवानी को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2026–27 के दौरान एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत ‘संरक्षित खेती’ योजना लागू की जा रही है।

प्राकृतिक वायु–संचारित पॉलीहाउस, शेड नेट हाउस तथा खरपतवार–रोधी चटाई जैसी संरक्षित खेती की तकनीकें किसानों को प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों से निपटने, जल उपयोग की दक्षता बढ़ाने तथा उत्पादकता में वृद्धि करने में सहायता करती हैं। ये संरचनाएँ विशेष रूप से बेमौसम सब्जियों की खेती, गुणवत्तापूर्ण पौध तैयार करने तथा उच्च मूल्य वाली फूलों की फसलों की खेती के लिए लाभकारी हैं।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इस परियोजना के अंतर्गत पात्र किसानों को संरक्षित खेती की संरचनाएँ स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता प्राकृतिक वायु–संचारित पॉलीहाउस, बॉस/केबल पर्लिन पॉलीहाउस, शेड नेट हाउस तथा खरपतवार–रोधी चटाई लगाने के लिए उपलब्ध होगी।

एमआईडीएच के दिशा–निर्देशों के अनुसार, पात्र किसान निर्धारित मानदंडों के अनुरूप संरक्षित खेती की संरचनाएँ स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी सहायता का लाभ उठा सकते हैं।

क्र.सं.	घटक	लक्ष्य (हेक्टेयर)	अनुमन्य सब्सिडी
1	प्राकृतिक वायु–संचारित पॉलीहाउस (ट्यूबलर संरचना)	0.50	50 प्रतिशत सब्सिडी, अधिकतम 690 रुपए प्रति वर्ग मीटर तक। प्रति लाभार्थी अधिकतम 2,500 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए अथवा छोटे क्षेत्र के लिए आनुपातिक आधार पर सहायता।
2	प्राकृतिक वायु–संचारित पॉलीहाउस (बॉस/केबल पर्लिन संरचना)	0.40	50 प्रतिशत सब्सिडी, अधिकतम 278.75 रुपए प्रति वर्ग मीटर तक। प्रति लाभार्थी अधिकतम 2,500 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए अथवा छोटे क्षेत्र के लिए आनुपातिक आधार पर सहायता।
3	शेड नेट हाउस (बॉस/केबल पर्लिन संरचना)	0.40	50 प्रतिशत सब्सिडी, अधिकतम 258.75 रुपए प्रति वर्ग मीटर तक। प्रति लाभार्थी अधिकतम 2,500 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए अथवा छोटे क्षेत्र के लिए आनुपातिक आधार पर सहायता।
4	खरपतवार–रोधी चटाई	2.18	50 प्रतिशत सब्सिडी, अधिकतम 28.75 रुपए प्रति वर्ग मीटर तक। प्रति लाभार्थी अधिकतम 4,000 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए अथवा छोटे क्षेत्र के लिए आनुपातिक आधार पर सहायता।

प्राप्त विज्ञप्ति में विभाग ने अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के सभी किसानों से आग्रह किया है कि वे केंद्र प्रायोजित योजना–एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) का लाभ उठाएँ। इसके लिए किसान विस्तृत जानकारी प्राप्त करने, आवेदन जमा करने तथा योजना के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ उठाने संबंधी मार्गदर्शन हेतु अपने–अपने क्षेत्राधिकार में तैनात विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों एवं विस्तार कर्मचारियों से संपर्क करें।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में सामुदायिक सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए जल संसाधनों के निर्माण की योजना लागू

श्री विजय पुरम, 11 अक्टूबर।

उच्च मूल्य कृषि विकास एजेंसी (एचवीएडीए) द्वारा अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में सामुदायिक आधारित सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2026–27 के दौरान बागवानी के एकीकृत विकास मिशन (एमआईडीएच) के राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत ‘जल संसाधनों का निर्माण’ योजना लागू की जा रही है।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत इस परियोजना के तहत बागवानी फसलों को जीवनरक्षक सिंचाई उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सामुदायिक टैंकों, खेतों में तालाबों तथा जलाशयों का निर्माण कर जल संसाधन विकसित करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इन जल संरचनाओं में पानी के भंडारण को सुनिश्चित करने के लिए प्लास्टिक अथवा प्रबलित सीमेंट कंक्रीट (आरसीसी) की परत बिछाई जाती है। जल स्रोत के रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित समुदाय की होगी।

इस योजना के अंतर्गत 30,000 घन मीटर की भंडारण क्षमता वाली जल संरचना के माध्यम से 10 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र में सिंचाई के लिए 75 प्रतिशत की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कम क्षमता वाली जल संरचनाओं के लिए कमांड क्षेत्र के अनुपात में सहायता दी जाएगी। इसके लिए न्यूनतम 500 माइक्रोन मोटाई वाली प्लास्टिक शीट अथवा आरसीसी/उच्च घनत्व पॉलीथीन (एचडीपीई) की परत का उपयोग किया जाएगा। जल संरचना का स्वामित्व एवं प्रबंधन किसी समुदाय अथवा किसान समूह के पास होना चाहिए।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार बिना परत वाले तालाबों या टैंकों के निर्माण की लागत में 30 प्रतिशत की कमी की जाएगी। हालांकि, यह प्रावधान केवल काली कपास वाली मिट्टी के क्षेत्रों में लागू होगा।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के लिए अधिकतम 30,000 घन मीटर क्षमता वाली जल संरचना के निर्माण हेतु 100 रुपये प्रति घन मीटर की दर से, अर्थात प्रति इकाई अधिकतम 30 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	घटक/मद	2026–27	
		भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	वित्तीय लक्ष्य (रुपए में)
1.	सामुदायिक उपयोग के लिए जल संग्रहण संरचनाएं–प्लास्टिक शीट/आरसीसी की परत बिछाकर खेतों में सामुदायिक टैंकों, तालाबों एवं जलाशयों का निर्माण	25	26.88
	कुल	25	26.88

सामुदायिक जल संसाधन के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि वाले तथा बागवानी फसलों की सिंचाई हेतु इस सुविधा का उपयोग करने के इच्छुक पात्र समुदायों एवं किसान समूहों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे आगे आकर इस योजना का लाभ उठाएं। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार आवेदक अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र एवं अन्य आवश्यक मार्गदर्शन हेतु अपने–अपने क्षेत्राधिकार में तैनात कृषि विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों तथा विस्तार कर्मचारियों से संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उच्च मूल्य कृषि विकास एजेंसी (एचवीएडीए), कृषि निदेशालय से संपर्क किया जा सकता है।

शोल बे–19 में 13 किलोग्राम संधिग्ध हिरण का मांस और हिरण का सिर ज़ब्त

श्री विजय पुरम, 11 अक्टूबर।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के पर्यावरण एवं वन विभाग ने बम्बूफूलाट पुलिस थाने के समन्वय से शोल बे–19 में संयुक्त गश्त अभियान चलाया। अभियान के दौरान एक व्यक्ति के पास से संधिग्ध हिरण के मांस का एक पैकेट बरामद किया गया। इसके बाद वैध तलाशी वारंट के तहत उक्त व्यक्ति के आवासीय परिसर की तलाशी ली गई, जिसमें संधिग्ध हिरण के मांस के 10 अतिरिक्त पैकेट और हिरण का एक सिर बरामद हुआ। बरामद संधिग्ध हिरण के मांस की कुल मात्रा लगभग 13 किलोग्राम थी। यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, जनता से एक बार फिर अपील की है कि वे द्वीपों के वनों और संबंधित व्यक्ति को आगे की जांच और वन्यजीव वन्यजीवों की सुरक्षा में सहयोग करें तथा अवैध शिकार, वन्यजीवों (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रासंगिक प्रावध को अपने कब्जे में रखने, उनके परिवहन, भंडारण अथवा वन एवं पानों के तहत आवश्यक कानूनी कार्यवाई के वन्यजीव उत्पादों के अवैध व्यापार से संबंधित किसी भी जानकारी लिए मनारघाट स्थित रेंज कार्यालय लाया की सूचना वन विभाग की हेल्पलाइन 03192–255228 पर दें। गया। दक्षिण अण्डमान वन प्रभाग ने आम सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।



कॉमनवेल्थ स्कूल्स शतरंज चैंपियनशिप 2026 में जे. एस. विराट ने दिलाया भारत को गौरव

रैपिड में स्वर्ण और ब्लिट्ज में रजत पदक जीतने में दिया योगदान

कुआलालंपुर, 11 अक्टूबर। अण्डमान तथा निकोबार राज्य शतरंज चैंपियन 2026 और होनहार युवा शतरंज खिलाड़ी जे. एस. विराट ने 4 से 12 अक्टूबर, 2026 तक मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित कॉमनवेल्थ स्कूल्स शतरंज चैंपियनशिप 2026 में अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह तथा भारत का गौरव बढ़ाया। उन्होंने अंडर-13 ओपन रैपिड स्पर्धा में भारत को टीम स्वर्ण पदक और अंडर-13 ओपन ब्लिट्ज स्पर्धा में टीम रजत पदक दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रैपिड स्पर्धा में विराट ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4.5 अंक अर्जित किए और अपनी श्रेणी में भारतीय खिलाड़ियों के बीच सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी बने। उनके महत्वपूर्ण योगदान ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई। रैपिड स्पर्धा में भारत ने कुल 13 अंक अर्जित कर टीम स्वर्ण पदक अपने नाम किया। सिंगापुर 12 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा और उसे रजत पदक मिला, जबकि श्रीलंका ने कांस्य पदक हासिल किया। जे. एस. विराट ने अंडर-13 ओपन ब्लिट्ज स्पर्धा में भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। इस स्पर्धा में भी वह अपनी श्रेणी में भारतीय खिलाड़ियों के बीच सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी बने। उनके बहुमूल्य योगदान से भारतीय टीम रजत पदक जीतने में सफल रही। इस उपलब्धि ने उनके उभरते शतरंज करियर में एक और अंतरराष्ट्रीय सफलता जोड़ दी। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार विराट की इस असाधारण अंतरराष्ट्रीय



उपलब्धि से अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह का गौरव बढ़ा है। उनकी सफलता द्वीपों में उभरती शतरंज प्रतिभा को प्रदर्शित करती है और युवा खिलाड़ियों की नई पीढ़ी को प्रेरित करती है। इस बीच, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के एफआई, आईए नीलैया बी. ने चैंपियनशिप में सेक्टर निर्णायकों में से एक के रूप में अपनी सेवाएं दीं।

जल संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए द्वीपों में नुक्कड़ नाटकों का मंचन

श्री विजय पुरम, 11 अक्टूबर। जल संरक्षण तथा जल संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे जन-जागरूकता अभियान के अंतर्गत, अण्डमान लोक निर्माण विभाग (एपीडब्ल्यूडी) के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी प्रभाग (पीएचईडी) द्वारा द्वीपों के विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जा रही है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य जल के विवेकपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करना तथा जल संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को मजबूत बनाना है। 10 अक्टूबर, 2026 को विभाग ने भातूबस्ती, बर्मानाला और मंगलूटान सहित प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर नुक्कड़ नाटकों की एक श्रृंखला आयोजित की। रोचक प्रस्तुतियों और जनसंवाद के माध्यम से इन कार्यक्रमों में दैनिक जीवन में जल संरक्षण के महत्व, पानी की अनावश्यक बर्बादी रोकने, वर्षा जल संचयन की पद्धतियां अपनाने तथा द्वीपों के नाजुक मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने पर प्रकाश डाला गया। इन जागरूकता कार्यक्रमों में आम जनता तथा पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के सदस्यों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। भातूबस्ती में स्थानीय वार्ड पार्षद कार्यक्रम में उपस्थित रहे, जबकि मंगलूटान में स्थानीय ग्राम प्रधानों और अन्य जनप्रतिनिधियों ने विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर जल के जिम्मेदाराना प्रबंधन और सामुदायिक स्तर पर जल संरक्षण का संदेश प्रसारित किया। इस वर्ष सीमित वर्षा होने को ध्यान में रखते हुए एपीडब्ल्यूडी ने आम जनता से जल का विवेकपूर्ण उपयोग करने और इसकी अनावश्यक बर्बादी से बचने की अपील की है। निवासियों से पानी बचाने के सरल लेकिन प्रभावी उपाय अपनाने का आग्रह किया गया है। इनमें उपयोग न होने पर नलों को बंद रखना, टपकते नलों और पाइपलाइनों की समय पर मरम्मत कराना, जहां संभव हो वहां पानी का पुनः उपयोग करना तथा घरेलू कार्यों के दौरान पानी की बर्बादी रोकना शामिल है। विभाग ने जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण के महत्व पर भी जोर दिया है। अपर्याप्त वर्षा की



अवधि में ये उपाय विशेष रूप से उपयोगी हैं। नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे पाइपलाइनों में होने वाले रिसाव की सूचना संबंधित अधिकारियों को तुरंत दें, ताकि समय पर मरम्मत की जा सके और बहुमूल्य जल संसाधनों को बचाया जा सके। एपीडब्ल्यूडी ने उन जिम्मेदार नागरिकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया है, जो सक्रिय रूप से पाइपलाइन रिसाव की सूचना देते हैं और जल संरक्षण के प्रयासों में विभाग का सहयोग करते हैं। विभाग ने दोहराया कि जल संरक्षण एक सामूहिक जिम्मेदारी है तथा इस बहुमूल्य संसाधन की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक परिवार और समुदाय की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार एपीडब्ल्यूडी आने वाले सप्ताहों में भी द्वीपों के विभिन्न क्षेत्रों में घरों और सामुदायिक केंद्रों को लक्षित करते हुए अतिरिक्त जनसंपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से अपना जन-जागरूकता अभियान जारी रखेगा। इन पहलों का उद्देश्य जन-जागरूकता को मजबूत करना, जल के जिम्मेदाराना उपयोग की आदतों को प्रोत्साहित करना तथा समाज के सभी वर्गों में जल संरक्षण की संस्कृति विकसित करना है।

आगामी 17 एवं 18 अक्टूबर को होगा द्वीप नारियल महोत्सव—2026 भागीदारी एवं प्रतियोगिताओं के लिए आवेदन 14 अक्टूबर तक

श्री विजय पुरम, 11 अक्टूबर। सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा संबद्ध विभागों के सहयोग से द्वीप नारियल महोत्सव-2026 के तीसरे संस्करण का आयोजन 17 एवं 18 अक्टूबर, 2026 को श्री विजय पुरम स्थित प्रदर्शनी मैदान में शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक किया जाएगा। पिछले आयोजनों में मिली उत्साहजनक प्रतिक्रिया के बाद आयोजित किए जा रहे इस महोत्सव का उद्देश्य द्वीपसमूह की समृद्ध सांस्कृतिक, पाक-कला एवं रचनात्मक परंपराओं का जीवंत प्रदर्शन करना है। महोत्सव में नारियल आधारित व्यंजन, हस्तशिल्प, पारंपरिक कलाओं, लोक प्रस्तुतियों तथा स्थानीय स्तर पर निर्मित उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। यह आयोजन स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), कारीगरों, स्थानीय उद्यमियों, खाद्य व्यवसाय संचालकों, होटल व्यवसायियों, रेस्तरां संचालकों तथा अन्य हितधारकों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने, आगंतुकों से संवाद करने तथा आय सृजन एवं आजीविका संवर्धन के अवसर तलाशने के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा। होटल व्यवसायियों, रेस्तरां संचालकों, व्यक्तियों, संघों, स्वयं सहायता समूहों, गैर-सरकारी संगठनों, कारीगरों, खाद्य स्टॉल संचालकों तथा अन्य इच्छुक प्रतिभागियों से महोत्सव में भाग लेने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि इच्छुक प्रतिभागी निर्धारित आवेदन प्रपत्र सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय की परिचालन इकाई से प्राप्त कर सकते हैं। महोत्सव के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा, जिनमें नारियल आधारित कला एवं हस्तशिल्प प्रतियोगिता, पुरुषों के लिए नारियल छिलका उतारने की प्रतियोगिता, महिलाओं के लिए नारियल छिलका उतारने की प्रतियोगिता तथा नारियल पाक-कला प्रतियोगिता शामिल हैं। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को उचित पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। भागीदारी एवं प्रतियोगिताओं के संबंध में इच्छुक प्रतिभागी सहायक प्रबंधक श्री चंदरराव एच.के. से मोबाइल नंबर 9434282324 तथा श्री एमलुस लाकड़ा से मोबाइल नंबर 9474200066 पर संपर्क कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर, 2026 को शाम 4 बजे तक है। किसी भी अन्य जानकारी के लिए सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय के प्रबंधक से मोबाइल नंबर 9933255364 पर संपर्क किया जा सकता है। सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय ने द्वीपवासियों, पर्यटकों, कारीगरों, उद्यमियों, खान-पान के शौकीनों तथा आम जनता से एक साथ आकर नारियल के माध्यम से द्वीपों की भावना का उत्सव मनाने का आह्वान किया है—नारियल, जो हमारी परंपरा, स्वाद, रचनात्मकता और शिल्प कौशल का प्रतीक है।

ज़िला योजना समिति की बैठक स्थगित

श्री विजय पुरम, 11 अक्टूबर। दक्षिण अण्डमान जिला परिषद के अटल भवन स्थित सम्मेलन कक्ष में 12 से 14 अक्टूबर, 2026 तक आयोजित होने वाली जिला योजना समिति (डीपीसी) की बैठक प्रशासनिक कारणों से स्थगित कर दी गई है। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इस बैठक में विभागों, श्री विजय पुरम नगरपालिका परिषद (एसवीपीएमसी) तथा पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) से संबंधित वर्ष 2027-2028 की प्राथमिकता आधारित जिला कार्ययोजना पर चर्चा कर उसे अंतिम रूप दिया जाना था। इसके अतिरिक्त, दक्षिण अण्डमान जिले में कैपबेल बे के राजस्व क्षेत्र सहित पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) से संबंधित वर्ष 2026-2027 की प्राथमिकता आधारित जिला कार्ययोजना पर भी विचार किया जाना था। बैठक की संशोधित तिथि एवं समय की सूचना उचित समय पर अलग से दी जाएगी।

‘क्लैश ऑफ द टाइटन्स शतरंज प्रतियोगिता 2026’ सम्पन्न, लगभग 100 खिलाड़ियों ने लिया भाग



श्री विजय पुरम, 11 अक्टूबर। अण्डमान निकोबार शतरंज संघ द्वारा आयोजित ‘क्लैश ऑफ द टाइटन्स शतरंज प्रतियोगिता 2026’ का आज समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के लगभग 100 शतरंज खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। खुली श्रेणी में रुशल वाई ने प्रथम स्थान प्राप्त कर विजेता बनने का गौरव हासिल किया। सचिव बारा (एसीएम) दूसरे स्थान पर रहे, जबकि अजय आर. ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में प्रसिद्ध सेवानिवृत्त चिकित्सक डॉ. एस. एस. सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इस प्रतियोगिता ने स्थानीय शतरंज खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने, प्रतिस्पर्धात्मक अनुभव प्राप्त करने तथा द्वीपों में शतरंज की संस्कृति को और मजबूत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया।

चोरी के मामले में चार आरोपी गिरफ्तार, चोरी की संपत्ति बरामद



मायाबंदर, 11 अक्टूबर। उत्तर अण्डमान की डिगलीपुर पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर उसे सुलझाकर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। पुलिस ने त्वरित एवं प्रभावी जांच के माध्यम से चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया और चोरी की संपत्ति बरामद कर ली। डिगलीपुर पुलिस ने 9 अक्टूबर, 2026 को दर्ज चोरी के मामले की त्वरित कार्रवाई करते हुए केंद्रित जांच शुरू की। निरंतर प्रयासों, सूक्ष्म जांच और प्रभावी पुलिस कार्रवाई के परिणामस्वरूप पुलिस दल ने चारों आरोपियों का पता लगाकर उन्हें सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया तथा चोरी की गई वस्तुएं बरामद कीं। इनमें डिब्बे सहित एक स्मार्ट टेलीविजन, पीतल का एक बर्तन, पीतल के दीपक और चांदी की पायलें शामिल हैं। उत्तर व मध्य अण्डमान के पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि मामले का त्वरित खुलासा उत्तर व मध्य अण्डमान जिला पुलिस की अपराध पर अंकुश लगाने और आम जनता की संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति समर्पण एवं कार्यकुशलता को दर्शाता है। आम जनता से अपील की गई है कि किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना दूरभाष संख्या 100 या 112 अथवा निकटतम पुलिस थाने में दें। सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी तथा उपयोगी एवं कार्रवाई योग्य जानकारी देने वालों को उचित पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे।

पाक-कला कौशल, प्रस्तुतीकरण एवं स्वच्छता में उन्नयन प्रशिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित

श्री विजय पुरम, 11 अक्टूबर। अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के पर्यटन निदेशालय ने राइजिंग एंड एक्सेलेरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस (आरएएमपी) पर्यटन हस्तक्षेप, 2026-27 के तहत पाक-कला कौशल, प्रस्तुतीकरण एवं स्वच्छता विषय में कौशल उन्नयन कार्यक्रम के लिए इच्छुक युवाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस कार्यक्रम के लिए सीटें सीमित हैं। इस संबंध में निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र पर्यटन निदेशालय, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के योजना अनुभाग में जमा किया जा सकता



है अथवा निम्नलिखित लिंक <https://forms.gle/i9ruk1s5fySWtJi7> पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार आवेदन 16 अक्टूबर, 2026 को सायं 3 बजे तक जमा किए जा सकते हैं।